न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

निगरानी संख्या–145/2015–16 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

उत्तराखण्ड सरकार

बनाम

सन्तनसिंह पुत्र स्व0 फतेह सिंह, हाल निवासी–लालपुर सुखरौ, तहसील कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल, 2. पूरण सिंह पुत्र प्रताप सिंह, हाल निवासी–फतेहपुर, हरियाणा।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)

अधिवक्ता निगरानीकर्त्ता : श्री विनोद कुमार डिमरी जि0शा0अधि0 (राजस्व)

अधिवक्ता उत्तरदातागण : श्री अमित सजवाण।

निर्णय

यह निगरानी राज्य सरकार द्वारा अपर आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा निगरानी संख्या–06/2014/15 सन्तन सिंह आदि बनाम उत्तराखण्ड सरकार अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0 में पारित आदेश दिनांक 01–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

इस निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्नवत् हैः–

उत्तरदाता संख्या–1 व 2 सन्तन सिंह पुत्र स्व0 फतेह सिंह व पूरण सिंह असवाल पुत्र स्व0 प्रताप सिंह असवाल, निवासीगण उपरोक्त ने दिनांक 24–07–2008 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–33/39 भू0रा0अधि0 का सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार के समक्ष इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम सतीचौड़, परगना व तहसील कोटद्वार के हाल बन्दोबस्त खतौनी संख्या–28 के खसरा नं0–172 क्षेत्रफल 2.711 है0 (6.70 एकड़) में उनके पिता स्व0 फतेह सिंह व स्व0 प्रताप सिंह का नाम दर्ज है जिस पर उनके पैतृकगण काश्त करते थे तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त वे उस पर काश्त करते आ रहे थे लेकिन राजस्व कर्मियों की गलती के कारण उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में अकृषिक जलमग्न भूमि दर्शायी गई है। अतः प्रार्थीगणों के नाम उक्त भूमि पर दर्ज किये जाए।

विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने उक्त प्रार्थना पत्र को जांचोपरान्त अपने निर्णयादेश दिनांक 17 –04–2009 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरूद्ध उत्तरदातागण द्वारा आयुक्त, गढ़वाल मण्डल के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान आयुक्त, गढ़वाल मण्डल ने अपने निर्णयादेश दिनांक 03–11–2010 से स्वीकार

आलोक में विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी, कोटद्वार ने पुनः जांचोपरान्त अपने आदेश दिनांक 04–11–2011 से दुरूस्ती प्रार्थना इस आधार पर कि–वर्तमान में खसरा संख्या–172 की भूमि अभिलेखों में सार्वजनिक प्रयोजन, दरियाबुर्द, नदी में दर्ज होने के कारण इस भूमि की श्रेणी में किसी प्रकार परिवर्तन धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के तहत नही किया जा सकता है। इस धारा के तहत पक्षकारों के स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। अतः प्रार्थीगणों का यह दुरूस्ती प्रार्थना पत्र धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के तहत संघार्य न होने के कारण निरस्त होने योग्य है–निरस्त कर दिया गया। आदेश दिनांक 04–11–2011 के विरूद्ध उत्तरदातागण द्वारा पुनः आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान आयुक्त ने यह कहते हुए कि–प्रश्नगत भूमि श्रेणी–6–1 दरियाबुर्द, नदी के रूप में वाद दायर करने से 38 वर्ष पूर्व से राजस्व अभिलेखों में अंकित चली आ रही है इस दीर्घकालीन प्रविष्टि को धारा–33/39 के अन्तर्गत दुरूस्त नही किया जा सकता है–अपने निर्णयादेश दिनांक 18–04–2012 से अपील निरस्त कर दी। विद्वान आयुक्त के निर्णयादेश दिनांक 18–04–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे तत्कालीन मा0 अध्यक्ष द्वारा अपने निर्णयादेश दिनांक 20–04–2013 से स्वीकार कर कतिपय निर्देश सहित प्रकरण पुनः गुण दुोष के आधार पर निस्तारण हेतु सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार को प्रति प्रेषित किया। पुनः विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने अपने निर्णयादेश दिनांक 18–03–2015 से दुरूस्ती प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया। निर्णयादेश दिनांक 18–03–2015 के विरूद्ध उत्तरदातागण द्वारा पुनः आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जिसे विद्वान अपर आयुक्त, पौड़ी ने अपने निर्णयादेश दिनांक 01–10–2015 से स्वीकार करते हुए उत्तरदातागण को वादग्रस्त भूमि पर संक्रमणीय भूमिधर घोषित करते हुए उनका नाम श्रेणी–क–1 में दर्ज करने के निर्देश पारित किये गये। इसी आदेश के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा यह निगरानी योजित की गई है।

मैंने उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस को सुना तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का भली भांति अध्ययन किया।

जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व का तर्क है कि वर्ष 2013 में इस न्यायालय में प्रस्तुत निगरानी उत्तरदातागण की द्वितीय निगरानी थी जो ग्राह्य नही थी, कि वादग्रस्त भूमि आरम्भ से नई परती एवं जलमग्न भूमि के रूप में खतौनियों में अंकित चली आ रही है एवं 1370 फसली से 1377 फसली एवं 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1394 व 1396 फसली में इसे झाड़ी एवं दरियाबुर्द नदी के रूप में खतौनियों में अभिलिखित किया गया है जिसका आशय स्पष्ट है कि इसपर कोई कृषि नही हो रही है एवं उत्तरदातागण का इस पर कोई काश्तकारी अध्यासन (cultivatory possession) नही है, कि विद्वान अपर आयुक्त ने अभिलेखीय त्रुटि के नाम पर उत्तरदातागण को वादग्रस्त भूमि का भूमिधर घोषित कर दिया है जिसका उन्हें क्षेत्राधिकार नही प्राप्त था एवं वे धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत एक

सरसरी कार्यवाही में स्वत्व के साथ छेड़छाड़ नही कर सकते थे, कि प्रश्नगत लेखनी की त्रुटि अथवा भूल के बन्दोबस्ती त्रुटि अथवा भूल होने के दृष्टिगत भी उसे एक सरसरी कार्यवाही में शुद्ध नहीं किया जा सकता है एवं उत्तरदातागण के समक्ष नियमित वाद का ही विकल्प उपलब्ध था एवं है।

दूसरी ओर उत्तरदाता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि इस न्यायालय के प्रति प्रेषण आदेश दिनांक 20–04–2013 के क्रम में विद्वान परगनाधिकारी द्वारा जांच करवाई गई जिसमें वादग्रस्त भूमि पर उत्तरदातागण का अध्यासन पाया गया एवं यह भी पाया गया कि वादग्रस्त भूमि नदी नही है, कि 1960 में उत्तरदातागण के पूर्व पुरूषों के नामों की प्रविष्टि किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बिना परिवर्तित की गई अर्थात् प्रश्नगत त्रुटि/भूल एक कलमी भूल थी जिसे शुद्ध किया जा सकता था एवं उचित रूप से किया गया है, कि दीर्घकालीन प्रविष्टि का जहां तक प्रश्न है इस सम्बन्ध में विधिक स्थिति स्पष्ट है कि लेखनी की त्रुटि/कलमी भूल को दीर्घकालीन होने के आधार पर शुद्ध किये जाने से मना नही किया जा सकता है क्योंकि कलेक्टर एवं सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों का दायित्व है कि वे राजस्व अभिलेखों विशेष रूप से वार्षिक पंजिकाओं को अध्यावधिक व शुद्ध रखें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्कों के समर्थन में कतिपय न्यायिक दृष्टान्तों का उल्लेख किया है जिन्हें यथास्थान विवेचित व विश्लेषित किया जा रहा है।

सर्वप्रथम विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, राजस्व, का यह तर्क कि इस न्यायालय में प्रस्तुत पूर्व निगरानी संख्या–10/2011–12 सन्तन सिंह आदि बनाम सरकार द्वितीय निगरानी होने के कारण पोषणीय नही थी का प्रश्न है, मैंने संगत पत्रावलियों का अवलोकन किया एवं पाया कि उक्त तर्क सही नही है क्योंकि संगत निगरानी विद्वान आयुक्त द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील संख्या–03/2011–12 में पारित निर्णयादेश दिनांक 18–05–2012 से उपजी थी। तद्नुसार वह द्वितीय निगरानी नही थी।

यह निर्विवादित है कि वादग्रस्त भूमि बन्दोबस्त वर्ष 1960 की नकल खतौनी प्रपत्र–26 के अनुसार उत्तरदातागण/प्रार्थीगण के पूर्व पुरूषों फतेह सिंह व प्रताप सिंह के नाम मौरूसी काश्तकार के रूप में अंकित थी। उत्तरदातागण/प्रार्थीगण ने यह कहीं स्पष्ट नही किया है कि उक्त प्रविष्टि का लोप कब और किस स्तर पर हुआ। यह सम्भव है कि तत्समय बन्दोबस्ती कार्यवाही में ही स्थलीय स्थिति के अनुसार उक्त प्रविष्टि का लोप हो गया हो क्योंकि यदि बन्दोबस्त के पश्चात सर्वप्रथम निर्मित खतौनी की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत की गई होती तो स्थिति स्पष्ट होती परन्तु उत्तरदातागण/प्रार्थीगण ने बन्दोबस्त वर्ष 1960 के उक्त अभिलेख के अतिरिक्त कोई अन्य अभिलेख नही प्रस्तुत किया है। विद्वान सहायक कलेक्टर, प्रथम श्रेणी/परगनाधिकारी, कोटद्वार ने अपने विस्तृत निर्णयादेश दिनांक 18–03–2015 में यह स्पष्ट निष्कर्ष अंकित किया है कि वादग्रस्त भूमि पर वर्ष 1960 तद्नुसार फसली वर्ष 1367 में भी कृषि कार्य नही हो रहा था एवं फसली वर्ष 1377 में इस भूमि को दरियाबुर्द नदी दर्ज किया गया है एवं 1388 फसली से 1392, 1394 व 1396 फसली में भी उसे झाड़ी के रूप में

दर्ज किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि पर उत्तरदातागण अथवा उनके पूर्व पुरूषों का कोई काश्तकारी अध्यासन (cultivatory possition) नही रहा है। धारा–33 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत लेखनी की भूल अथवा कलमी भूल का सुधार/शुद्धि वादग्रस्त भूमि पर अध्यासन को ध्यान में रखकर ही की जा सकती है। तद्नुसार उत्तरदातागण/प्रार्थीगण का आवेदन मात्र इस आधार पर अस्वीकृत होने योग्य था।

वर्ष 1960 की बन्दोबस्ती प्रपत्र–26 की प्रविष्टि जिसका उल्लेख पूर्व प्रस्तर में किया गया है को लुप्त किये जाने सम्बन्धी आदेश न उपलब्ध होने का आशय अब लगभग 55 से अधिक वर्षों के उपरान्त यह नही लगाया जा सकता है कि ऐसा लोप किसी सक्षम अधिकारी के आदेश से नही हुआ बल्कि उपधारणा यह होगी कि खतौनी की प्रविष्टि विधिवत है क्योंकि आलोच्य प्रकरण के अन्तर्गत किसी स्तर पर न तो उत्तरदातागण द्वारा न उनके पूर्व पुरूषों/पूर्वजों द्वारा यथासमय इस सम्बन्ध में आपत्ति अथवा आवेदन किया है। जांच में वर्ष 1960 के पश्चात वर्ष 1969 तक की अभिलेखीय स्थिति का कोई उल्लेख नही है। इस अवधि के अभिलेखों की उपलब्धता का भी कोई विवरण नही है। तद्नुसार इस दृष्टि से भी आलोच्य कार्यवाही पोषणीय नही थी।

लेखनी की त्रुटि/कलमी भूल के सुधार/शुद्धि के के लिए विधिक स्थिति अति स्पष्ट है कि दीर्घकालीन प्रविष्टियों का सुधार/शुद्धि धारा–33/39 भू0रा0अधि0 के अन्तर्गत नही की जा सकती है एवं बन्दोबस्ती प्रविष्टियों का सुधार/शुद्धि/परिवर्तन तो किसी भी दृष्टि से ऐसी कार्यवाही में नही किया जा सकता है। वर्तमान प्रकरण में वादग्रस्त भूमि कम से कम दो बन्दोबस्ती कार्यवाहियों से गुजरी है: एक तो वर्ष 1960 की बन्दोबस्ती कार्यवाही एवं दूसरी 1969 में क्रियान्वित एक क्रान्तिकारी एवं आमूल चूल परिवर्तनकारी जमींदारी विनाश एवं भूमि सुधार अधिनियम जिस का प्रभाव बन्दोबस्ती कार्यवाही से न्यूनतर नही था। यदि यह मान भी लें कि उत्तरदातागण के पूर्व पुरूषों के पक्ष में मौरूसी काश्तकार के रूप में प्रविष्टि वर्ष 1960 के बन्दोबस्त में अंतिम रूप से की गई थी, यद्यपि यह प्रमाणित नही है, तो भी इस प्रविष्टि के जमींदारी विनाश की कार्यवाही के उपरान्त यथावत न रखे जाने से इन प्रविष्टियों के लोप को कलमी भूल/लेखनी की त्रुटि नही कहा जा सकता है एवं यह भी नही कहा जा सकता है कि उक्त प्रविष्टि का लोप सक्षम अधिकारी के आदेश से नही किया गया। इस दृष्टि से भी आलोच्य कार्यवाही पोषणीय नही थी।

जहां तक उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उद्धरित महादेव व अन्य बनाम बालेश्वर प्रसाद व अन्य, ए0आई0आर0 1939 इलाहाबाद 626, व चन्द्रमौली सिंह बनाम भगेलो व अन्य, आर0डी0 1969 पृष्ठ–477, में प्रतिपादित सिद्धान्त कि नदी तट की भूमि के जलीय प्रभाव से जलमग्न होने की स्थिति में उसका जलमग्न होने की अवधि का अध्यासन अतिचारी का न होकर मूल भू–स्वामी का माना जायेगा, इस प्रकरण में कदाचित प्रासंगिक नही है क्योंकि एक तो उत्तरदातागण अथवा उनके पूर्व पुरूषों का वादग्रस्त भूमि पर काश्तकारी अध्यासन (cultivatory possition) नही सिद्ध हुआ है एवं उनका इस भूमि के

जलमग्न रहने के सम्बन्ध में न तो कोई अभिवचन है न ऐसा कोई साक्ष्य। विपरीत इसके कदाचित वे ये मानते है कि ये भूमि नदी तट की भूमि है एवं समय–समय पर जलमग्न रही है। यदि ऐसा है तो खतौनी की 1370 फसली से एतदसम्बन्धी प्रविष्टियां, यथा पूर्व में उल्लिखित, तथ्यपरक एवं उचित है। जहां तक इसी आशय की तीसरी न्यायिक व्यवस्था सईदउद्दीन सिद्धिकी बनाम मौहीउद्दीन आदि, आर0डी0 1973 पृष्ठ–110, में मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त भी इस निगरानी में पूर्णतः प्रासंगिक नही है क्योंकि मा0 परिषद ने यह व्यवस्था दी है कि खुद काश्त की भूमि के निहतन की तिथि पर यदि जलीय क्रिया से जलमग्न रहने पर एवं बाद में उसके जल से बाहर होने की स्थिति में जमींदार के खुद काश्त अधिकार यथावत नही रहते है एवं ऐसी भूमि राज्य सरकार में निहित हो जाती है जो इसे विधिवत व्यवस्थित कर सकती है। इस व्यवस्था से भी उत्तरदातागण को कोई सहायता नही मिलती है।

जहां तक उत्तर प्रदेश सरकार बनाम सतीश चन्द्र शर्मा आदि, आर0डी0 2008 पृष्ठ–106, में प्रतिपादित सिद्धान्त कि–उ0प्र0भू0रा0अधि0 1901 धारा–33/39 दीर्घकालीन प्रविष्टियां–अभिलेखों में त्रुटि की गई–त्रुटि संज्ञान में आने पर दुरूस्त करने का दायित्व परगनाधिकारी का है–प्रविष्टि मात्र इस आधार पर बरकरार नही रखी जा सकती है कि वह दीर्घकालीन है–का जहां तक सम्बन्ध है मा0 परिषद ने अपनी उक्त व्यवस्था में यह परिभाषित नही किया है कि दीर्घकालीन प्रविष्टि का आशय क्या है अर्थात् क्या 10 वर्ष पुरानी या 50 वर्ष पुरानी या 100 वर्ष पुरानी को दीर्घकालीन कहा जायेगा। अतः उक्त व्यवस्था का एतद्सम्बन्धी आशय आलोच्य प्रकरण में प्रासंगिक नही है क्योंकि आलोच्य प्रकरण में वर्ष 1960 में अथवा उसके बाद लोप हुए प्रविष्टि का प्रकरण अन्तर्निहित है। यहां यह स्पष्ट करना भी उचित होगा कि मा0 राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की वर्ष 2000 के उपरान्त की न्यायिक व्यवस्थाओं का प्रभाव इस न्यायालय पर अनुनयी (persuasive) है न कि बाध्यकारी (binding)। जहां तक इस न्यायालय की रघुवीर सिंह बनाम नगर निगम, देहरादून, 2009 (1) यू0ए0डी0 390 में प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्त कि–भू–राजस्व अधिनियम, 1901, धारा–33/39 –बन्दोबस्त कि क्रियाओं के दौरान हुई कलमी भूल को धारा–33/39 के अन्तर्गत दुरूस्त करने के क्षेत्राधिकार का विस्तार–यदि बन्दोबस्त की क्रियाएं प्रारम्भ होने से पूर्व अभिलेखों में प्रविष्टियां सही थी और खातेदार की भूमि का क्षेत्रफल ठीक दर्ज था किन्तु उक्त क्रियाओं के दौरान कोई कलमी भूल हो गई तो उसे भू–राजस्व अधिनियम की धारा–33/39 के अन्तर्गत दुरूस्त किया जा सकता है–का जहां तक प्रश्न है यह न्यायिक सिद्धान्त सर्वेक्षण एवं अभिलेखीय क्रियाओं की अवधि में हुई लेखनी की त्रुटि/कलमी भूल से सम्बन्धित है न कि बन्दोबस्त से। आलोच्य प्रकरण बन्दोबस्त वर्ष 1960 एवं जमींदारी विनाश की कार्यवाही वर्ष 1969 में की गई प्रविष्टियों से सम्बन्धित है।

विद्वान परगनाधिकारी/सहायक कलेक्टर, कोटद्वार ने अपने निर्णयादेश में सविस्तार सभी स्थितियों का मूल्यांकन/विश्लेषण/विवेचन कर सही निष्कर्ष अंकित कर

प्रार्थना पत्र विधिसम्मत रूप से अस्वीकृत किया है जबकि विद्वान अपर आयुक्त ने निगरानी में मात्र इस आधार पर प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया है कि वर्ष 1960 की प्रविष्टि का लोप किसी सक्षम अधिकारी द्वारा होना सिद्ध नही है जबकि जैसा कि पूर्व में विवेचित किया जा चुका है कि सम्बन्धित प्रविष्टि का लोप 1960 की बन्दोबस्त की कार्यवाही में भी सम्भव है एवं ऐसे लोप को वर्ष 1969 की जमींदारी विनाश की कार्यवाही में यथावत रखा गया है जिसका शोधन/सुधार/शुद्धि धारा–33/39 भू0रा0अधि0 की सरसरी कार्यवाही में किया जाना विधितः असम्भव है।

विद्वान अपर आयुक्त का अध्यासन सम्बन्धी निष्कर्ष भी विपर्यस्त है क्योंकि नदी अथवा जलमग्न भूमि का आशय ऐसी भूमि के सदैव जलाच्छादित रहने से नही है। ऐसी परिभाषा अत्यंत संकीर्ण होगी। नदी अथवा जलमग्न भूमि कई वर्षों तक जलयुक्त अथवा जलाच्छादित नही भी हो सकती है एवं पुनः जलीय क्रियाओं से नदी का रूप धारण कर सकती है एवं जलमग्न हो सकती है। कुछ समय एवं वर्षों तक नदी से बाहर होने मात्र से उसे वर्णित श्रेणी की भूमि न होना मानना गंभीर त्रुटि हो सकती है। विद्वान अपर आयुक्त ने तो कथित कलमी भूल/लेखनी की त्रुटि के सुधार/शोधन से आगे बढ़कर वादग्रस्त भूमि में उत्तरदातागण को भूमिधरी अधिकार भी प्रदान कर दिया है जिसका उन्हें स्पष्ट रूप से क्षेत्राधिकार नही था क्योंकि उन्हें मात्र उचित प्रकरण में लेखन की त्रुटि/कलमी भूल को ठीक किये जाने का क्षेत्राधिकार था अर्थात् वे प्रश्नगत कलमी भूल/लेखन की त्रुटि के सिद्ध होने की स्थिति में वर्ष 1960 फसली की प्रविष्टि को यथावत रखने के ही आदेश कर सकते थे। तदनुसार उनका भूमिधरी अधिकार दिये जाने सम्बन्धी आदेशांश अविधिक एवं तात्विक अनियमिततायुक्त है। खतौनी की प्रविष्टियों के अनुसार वादग्रस्त भूमि धारा–132 जं0वि0 एवं भू–सुधार अधिनियम से आच्छादित भूमि है जिस पर भूमिधरी अधिकार दिये ही नही जा सकते हैं।

उक्त विवेचन के क्रम में निगरानी स्वीकारणीय है एवं आक्षेपित आदेश अपास्त होने योग्य है।

आदेश

निगरानी स्वीकार कर आक्षेपित आदेश दिनांक 01–10–2015 अपास्त किया जाता है। अवर न्यायालय की पत्रावलियां वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 06–10–2017 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)